संख्या- 78 /2024/ 3602 /छिहत्तर-1-2024-1337024

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर, अमरोहा, आजमगढ, बस्ती, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, जौनपुर, कानपुर नगर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, सम्भल, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर तथा वाराणसी ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2024

विषय:- प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं को क्रियान्वित कराये जाने के क्रम में अपेक्षित भूमियों को उपलब्ध कराये जाने हेतु आपसे लगातार अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत यथा-पत्र संख्या-482/ छिहत्तर-1-2024-25सम/ 2019 दिनांक 06-02-2024, पत्र संख्या-752/ छिहत्तर-1-2024-25सम/ 2019 दिनांक 28-02- 2024, पत्र संख्या-849/ छिहत्तर-1-2024-25सम/ 2019 दिनांक 13-03-2024, पत्र संख्या-1192/ छिहत्तर-1-2024-25सम/ 2019 दिनांक 25-04-2024, पत्र संख्या-1355/छिहत्तर-1-2024-25सम/ 2019 दिनांक 16-05-2024, पत्र संख्या-64/2024/2158/छिहत्तर-1-2024-1337124 दिनांक 04-09-2024, पत्र संख्या-66/2024/2525/छिहत्तर-1-2024-25सम/ 2019/ 1337124 दिनांक 03-10-2024 एवं अन्तिम पत्र संख्या-76/2024/3497/छिहत्तर-1-2024-1337024 दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से आपके जनपद में विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं हेतु वांछित भूमियों को व्यक्तिगत प्रयास कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है, किन्तु अभी तक संलग्न विवरण के अनुसार भूमियों उपलब्ध नहीं हो पायी है।

2. उक्त संलग्न के विवरण से स्पष्ट है कि कुल 27 जनपदों में से 92 स्थलों पर भूमियों या तो उपलब्ध नहीं है अथवा विवादित है तथा 86 स्थलों पर अभी तक भूमियां उपलब्ध नहीं हो पायी हैं।

3. अत: कृपया योजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में अपने से सम्बन्धित जनपद की पुन: समीक्षा कर लें तथा योजनाओं हेतु अवशेष भूमियों को एक सप्ताह में विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Anurag Srivastava
Date: 27-12-2024 16:28:24

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 78 /2024/3602 (1)/छिहत्तर-1-2024-1337024, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (फेज-1, 2, 3, 4 व 5)।
2. प्रबन्ध-निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Om Prakash Chauhan
Date: 30-12-2024 15:16:21

(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्याः 78 /2024/3602/ छिहत्तर–1–2024–1337024दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 का संलग्नक

S.No	Phase	District	Land Not Available	Land Dispute	Total
1	Phase 1	Mirzapur	1	0	1
2	Phase 2,3&5	Amroha	3	3	6
3	Phase 2,3&5	AZAMGARH	1	10	11
4	Phase 2,3&5	BASTI	2		2
5	Phase 2,3&5	Deoria	2	2	4
6	Phase 2,3&5	Etah	0	4	4
7	Phase 2,3&5	Etawah	2	1	3
8	Phase 2,3&5	Farrukhabad	0	1	1
9	Phase 2,3&5	FATEHPUR	0	1	1
10	Phase 2,3&5	GHAZIPUR	4	2	6
11	Phase 2,3&5	Jaunpur	18	4	22
12	Phase 2,3&5	Kanpur Nagar	1	4	5
13	Phase 2,3&5	Kasganj	0	1	1
14	Phase 2,3&5	Lakhimpur Kheri	0	5	5
15	Phase 2,3&5	MEERUT	4	2	6
16	Phase 2,3&5	MORADABAD	0	1	1
17	Phase 2,3&5	Muzaffarnagar	10	5	15
18	Phase 2,3&5	Pratapgarh	11		11
19	Phase 2,3&5	Prayagraj	2	8	10
20	Phase 2,3&5	Rae Bareli	13	3	16
21	Phase 2,3&5	SAHARANPUR	5	5	10
22	Phase 2,3&5	SAMBHAL	5		5
23	Phase 2,3&5	Sant Kabeer Nagar	5	17	22
24	Phase 2,3&5	Sant Ravidas nagar	1	2	3
25	Phase 2,3&5	Shahjahanpur	0	1	1
26	Phase 2,3&5	Varanasi	0	4	4
27	Phase 4	Ballia	2		2
Total			**92**	**86**	**178**

संख्या-65/2024/2207/छिहत्तर-1-2024-1794508

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 12 सितम्बर, 2024

विषयः-प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप पेयजल योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सतही स्रोत आधारित विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के लिए इन्टेकवेल, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, क्लीयर वाटर रिजरवायर, शिरोपरि जलाशय हेतु एवं भू-जल आधारित विभिन्न पेयजल योजनाओं हेतु टयूबवेल एवं शिरोपरि जलाशय, सोलर संयंत्र तथा अन्य अवयवों की स्थापना हेतु सम्बन्धित ग्रामों में भूमि की आवश्यकता होती है। अतः जनहित में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निःशुल्क भूमि प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं हेतु भूमि लिए जाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :-

(1) जनपद-फिरोजाबाद की 02 पाइप पेयजल योजनाओं (सतही स्रोत आधारित ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना-पैकेज-1 एवं पैकेज-2) के लिए वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं क्लीयर वाटर रिजरवायर के निर्माण हेतु जनपद-एटा के परगना-मारहरा, ग्राम भडेरा के अंतर्गत स्थित भूमि (गाटा संख्या-264, रकवा 7.751 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या-261/3.372 हेक्टैयर, 268/1.707 हेक्टेयर व 250 / 7.207 हेक्टेयर अर्थात कुल रकवा 20.037 हेक्टेयर) भूमि रजिस्ट्रीशुल्क रहित नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

Agrawal go

(2) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पाइप पेयजल योजनाओं हेतु पूर्व में ली जा चुकी भूमियों पर कार्योत्तर स्वीकृति भी एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(3) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भविष्य में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पाइप पेयजल योजनाओं हेतु ली जाने वाली अन्य आवश्यक भूमियों को नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को रजिस्ट्रीशुल्क रहित निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी ।

3- इस सम्बन्ध में निम्नलिखित का संज्ञान लिया जायेगा :-

(1) भूमि के स्वामित्व के बिन्दु के दृष्टिगत यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित भूमि जिस प्रयोजन हेतु निःशुल्क हस्तांतरित की जानी है उस हेतु सक्षम संस्था द्वारा निर्धारित मानक से अधिक नहीं हो ।

(2) प्रश्नगत भूमि निर्विवाद हो तथा उस पर कोई धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

(3) यदि भविष्य में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं रहती है अथवा तीन वर्षो तक उक्त निःशुल्क हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो प्रश्नगत भूमि को उसके मूल विभाग को वापस किया जायेगा ।

(4) इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अधिनियमों / वित्तीय नियम संग्रह / शासनादेश आदि की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यदि भविष्य में धृत भूमि की अधिकारिता / अन्तरण के सम्बन्ध में राजस्व विधि से असंगतता पायी जाती है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा-3 (क-क) एवं (ख-ख) के परन्तुक-1 के अधीन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पक्ष में स्टाम्प देयता से मुक्ति प्राप्त होगी, किन्तु उक्त छूट हेतु विलेखों के निष्पादन में शासनादेश संख्या-8/ 2024/ 1474/ 94-स्टा०नि०-2-2016/700(89) /2023 दिनांक 10 अप्रैल, 2024 के प्रस्तर-4 (iv) में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

5- अत: अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
Ambrish Kumar Singh
Date: 12-09-2024 10:58:07
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-65/2024/2207/छिहत्तर-1-2024-1794508 तद्दिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
4- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति (सम्बन्धित जनपद)
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-4/3/13/2024-सी0एक्स(1), दिनांक 09 सितम्बर, 2024 के क्रम में ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
Signed by
Om Prakash Chauhan
Date: 12-09-2024 13:11:04
(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।

Agrawal go

संख्या 5249 ...प्र०स०/राज०/रा०सु० एवं औ०प्रशा०/2024

संख्या- 2461/ग्रा०ज०-1-2024/ 1853947

प्रेषक,

डॉ० राज शेखर,
सचिव,
उ०प्र०, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

30-09-2024
(पी० गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव
राजस्व विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2024

विषय:-'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि भारत सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना हर घर जल उपलब्ध कराये जाने का कार्य 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रदेश के कतिपय जनपदों में क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं में जलाशय परिसर हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने अथवा भूमि विवाद होने के कारण जनपदों में पेयजल योजनाओं के कार्य बाधित हो रहा है। जिन जनपदों में भूमि विवाद है अथवा भूमि उपलब्ध नही है, उनका विवरण निम्नवत् है:-

30/09/2024
(राम रतन)
विशेष सचिव
राजस्व विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

S.No.	District	Land not available	Land disputed
1	2	3	4
1	Aligarh	1	5
2	Etah	2	0
3	Hathras	14	2
4	Ambedkar Nagar	0	1
5	Ayodhya	0	2
6	Barabanki	0	2
7	Sultanpur	3	6
8	Lakhimpur Kheri	0	12
9	Rae Bareli	18	3
10	Amroha	4	6
11	Bijnor	0	3
12	Sambhal	4	3
13	Bareilly	1	0
14	Shahjahanpur	0	1
15	Bahraich	0	4
16	Gonda	3	0
17	Shravasti	1	1
18	Deoria	4	8
19	Gorakhpur	5	10
20	Kushi nagar	0	17
21	Maharajganj	3	18
22	Basti	17	10
23	Sant Kabeer Nagar	4	22
24	Siddharth Nagar	18	15
25	Fatehpur	1	0

01/10/24

26	Kaushambi	1	4
27	Pratapgarh	11	8
28	Prayagraj	5	5
29	Etawah	2	2
30	Farrukhabad	2	2
31	Kanpur Dehat	1	7
32	Kanpur Nagar	3	3
33	Muzaffarnagar	7	8
34	Saharanpur	5	0
35	Baghpat	0	6
36	Bulandshahr	0	3
37	Gautam Buddha Nagar	1	2
38	Hapur	1	1
39	Meerut	4	2
40	Mirzapur	2	0
41	Sant Ravidas Nagar	14	0
42	Azamgarh	0	7
43	Ballia	4	16
44	Mau	19	2
45	Ghazipur	20	1
46	Jaunpur	34	6
47	Varanasi	0	4
	Grand Total	239	241

2– उल्लेखनीय है कि 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त घरों को हर घर जल से संतृप्त कर शुद्ध पेयजल दिसंबर, 2024 तक प्रदान किया जाना लक्षित है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया उपरोक्त तालिका के अनुसार जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने एवं भूमि विवाद का निराकरण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें, ताकि योजनाओं के समस्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कर योजनाओं को जनोपयोगी बनाया जा सके।

भवदीय

Signed by
Raj Shekhar
डॉ० राज शेखर
Date: 30-09-2024 10:26:11
सचिव।

संख्याः- 2461 (1)/76-1-2024-तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

(डॉ० राज शेखर)
सचिव।

संख्या–प्र0स0–225 / एक–1–2024–
1–1 / 84 / 2024

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक: नवम्बर, 2024

विषय:–नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के 47 जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने एवं भूमि विवाद का निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के पत्र संख्या–2461 / छिहत्तर–1–2024 / 1853947 दिनांक–30.09.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के 47 जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने एवं भूमि विवाद का निराकरण कराने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में अन्तर्निहित समस्त जनपदों से सूचना प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही यदि किसी जनपद में भूमि के विवाद में शासन स्तर से मार्गदर्शन की अपेक्षा है तो तदनुसार शासन को अपनी आख्या / अभिमत सहित अवगत भी करायें।

संलग्नक:–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by
Ram Prakash Singh
Date: 08-11-2024 16:55:59
(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या -1437/स्कू-2024
2-996/05-1-2024-ई-मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–5, लखनऊ।

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।

संख्याः जी 719/05–207/2024 दिनांक 12.12.2024

विषयः नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 द्वारा जल मिशन के अन्तर्गत कियान्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यो हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के 47 जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने एवं भूमि विवाद का निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के राजस्व अनुभाग–1 के पत्र सं0–225/ 1–1/84/2024 दिनांक 18.11.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कियान्वित की जा रही है। प्रदेश के 47 जनपदों (यथा अलीगढ़, एटा, हाथरस, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, अमरोहा, बिजनौर, सम्भल, बरेली, शाहजहाँपुर, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महराजगंज, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इटावा, फर्रूखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मुज0नगर, सहारनपुर, बागपत, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, मेरठ, मीरजापुर, संतकबीर नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी) में कियन्वित की जा रही पाइप पेयजल योजनाओं में जलाशय परिसर हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने अथवा भूमि विवाद होने के कारण उक्त जनपदों में पेयजल योजनाओं का कार्य बाधित हो रहा है। नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा उक्त जनपदों में भूमि उपलब्ध कराने एवं भूमि विवाद निराकरण कराने की अपेक्षा की गयी है।

2 ग्राम पंचायतों/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित भूमि के सम्बन्ध में निम्नवत विधि व्यवस्था है–

i- शासनादेश संख्या–744/एक–1–2016–2016–20(5)/2016 दिनांक 03–06–2016 के प्रस्तर–4(1)(ग) में यह प्राविधान है कि "ग्राम पंचायत/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित, सीलिंग में प्राप्त भूमि तथा अन्य सरकारी भूमि को राज्य सरकार के सेवरत विभागों को निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के विभाग के विभागों तथा निजी उद्यागों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र

-2-

अनुभाग-1
16.12.24

[signature] 13/12/24

में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार भूमि का मूल्य देय होगा।"

ii- सरकारी प्रयोजन हेतु ग्राम पंचायतों/अन्य स्थानीय निकायों के प्रबंधन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन/विनिमय की अधिकारिता शासनादेश संख्या–689/एक–1–2020–20(5)/2016 दिनांक 06–07–2020 द्वारा कलेक्टर/मण्डलायुक्त (यथास्थिति) में प्रतिनिधानित कर दिया गया है।

iii- शासनादेश दिनांक 03–06–2016 के प्रस्तर–4(1)(ण) में यह प्राविधान है कि जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त प्रशासकीय विभाग की संस्तुति पर ही भूमि का पुनर्ग्रहण किया जायेगा।

3– उपर्युक्त वर्णित विधि व्यवस्था के आलोक में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि कृपया ग्राम पंचायत/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण/विनिमय/श्रेणी परिवर्तन की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) की संस्तुति के उपरान्त कलेक्टर/मण्डलायुक्त (यथास्थिति) द्वारा किया जायेगा। अतः यह उचित होगा कि प्रशासकीय विभाग द्वारा 'जल जीवन मिशन' परियोजना के सुलभ कियान्वन हेतु जनपद स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया जाये और उक्त नोडल अधिकारी द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर परियोजना हेतु विवाद रहित एवं उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण किया जाये। तद्नुसार चिन्हित भूमि का नियमानुसार पुनर्ग्रहण/हस्तान्तरण (यथावांछित) की कार्यवाही की जाये।

कृपया उपर्युक्त आख्या से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय
12.12.24
(सूरज कुमार यादव)
प्रभारी अधिकारी
कृते आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सूरज कुमार यादव)
प्रभारी अधिकारी
कृते आयुक्त एवं सचिव।